फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :—राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर बनाम विपक्षी :— श्री सवाईलाल व अन्य
किस्म मुकदमा —84 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 93/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक 19.05.2025

पत्रावली पेश हुई। राजपेरोकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1, 2 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। वादी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा ग्राम निचला सेमलिया पटवार हल्का सवना तहसील भीण्डर की आराजी न. 7 रकबा 12.6700 है. एवं आराजी संख्या 22 रकबा 0.2300 हैं जो प्रतिवादी के नाम दर्ज रेकर्ड हैं। उक्त आराजी में से प्रतिवादी द्वारा बिना स्वीकृति के पेड को काट दिया गया जिसका वजन 8.00 क्विटंन के लगभग है जिसे तहसीलदार द्वारा उक्त लकडी को जब्त कर मामला धारा 84 के तहत पेश किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपना जवाब पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी अनुपस्थित रहें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, दस्तावेज के अवलोकन से उक्त लकडी तहसीलदार द्वारा जब्त कर सरपंच ग्राम पंचायत सवना को सिपूर्द की गई है। प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। अनुपस्थित रहें। चूंकि प्रतिवादी द्वारा बिना अनुमति के खैर के वृक्ष काटे गये हैं, ऐसी स्थिति में **"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 86 —अवैध रीति से हटाये जाने पर शास्तियां के बिन्दु संख्या 1 के तहत** "प्रतिवादी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता उचित है। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद धारा 84 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम निचला सेमलिया पटवार हल्का सवना तहसील भीण्डर की आराजी न. 7 रकबा 12.6700 है. एवं आराजी संख्या 22 रकबा 0.2300 है पर प्रतिवादी द्वारा काटे गये खैर के वृक्ष जिनका वजन 8.00 क्विंटल के हिसाब से 8 वृक्ष मानते हुये 8 वृक्ष के लिये प्रतिवादी को 100/— एक सौ रूपया प्रति वृक्ष अर्थात कुल 800/— आठ सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसी अपराध की पुनरावृति नही दोहराएंगे। तहसीलदार भीण्डर को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी से अर्थदण्ड की राशि व[illegible] जावे एवं जब्तसुदा लकडी की निलामी की जाकर निलामी [illegible] [illegible] से अवगत करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पा[illegible] लिख[illegible] वें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:26:46 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकद्ध में इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 93/24 (वाद)

GCMS NO: 2024/274

अनवान

1. श्री राजस्थान राज्य भूमिधारी जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............वादी

बनाम्

1. श्री सवाईलाल पिता अमरा जाति डांगी निवासी निचला सेमलिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री शंकरलाल पिता रत्ता जाति डांगी निवासी निचला समेलिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 93/24 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसा लकतई रुबरु श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानि बमुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :– परिणामस्वरूप वादी का वाद धारा 84 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम निचला सेमलिया पटवार हल्का सवना तहसील भीण्डर की आराजी न. 7 रकबा 12.6700 है. एवं आराजी संख्या 22 रकबा 0.2300 है पर प्रतिवादी द्वारा काटे गये खैर के वृक्ष जिनका वजन 8.00 क्विंटल के हिसाब से 8 वृक्ष मानते हुये 8 वृक्ष के लिये प्रतिवादी को 100/– एक सौ रूपया प्रति वृक्ष अर्थात कुल 800/– आठ सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसी अपराध की पुनरावृति नही दोहराएंगे। तहसीलदार भीण्डर को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी से अर्थदण्ड की राशि वसूल की जावे एवं जब्तसुदा लकडी की निलामी की जाकर निलामी राशि राजकोष में जमा करा पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

बराब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.05.20[illegible] को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:26:46 IST
Reason: SelfAttested